

27

FORM-1
(for linear projects)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector, Hamirpur (H.P.)

No. 187/DRA

Dated 25.04.2015


TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **00-04-22 hectares** of forest land situated in Tikka Kashmir proposed for construction of **Link Road Panyali to Nugraon**, Tehsil Nadaun, District Hamirpur which falls within jurisdiction of forest area of **Tehsil Nadaun, District Hamirpur**.

It is further certified that:

- (y) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **00-04-22** Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(S), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure... to.....annexure.....
- (z) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha/Revenue Village Level Committees have given their consent to it.
- (aa) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl.:As Above.


District Collector,
Hamirpur District Hamirpur.

Proceeding of the meeting of District Level Committee constituted under Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights Forest Right Act-2006) was held on dated 10-04-2015 under the Chairmanship of Sh. Rohan Chand Thakur (IAS) Deputy Commissioner Hamirpur.

The presence of Members of Committee is as Under:

- 1 Smt. Sangeeta Chandel
Divisional Forest Officer , Hamirpur. (Member) *Sangeeta*
- 2 Smt. Promila Devi Member of Zila Parishad
D/o Sh. Ishwar Dutt R/o Vill Bailag, PO Jijwin,
Tehsil Bhoranj (Member)
3. Smt. Arvid Kaur Rani Member Zila Parishad,
W/o Sh. Manjit Singh V. P.O. Mehre, (Member)
Tehsil Barsar.
- 4 Sh. Yashveer Singh, Member Zila Parishad
S/o Sh. Bachitter Singh Vill. Samella P.O. (Member) *Yashveer Singh*
Maharal, Tehsil Barsar, District Hamirpur
- 5 Sh. Himanshu Shekhar Chaudhary (IAS) (Member Secretary) *Himanshu*
Additional Deputy Commissioner, Hamirpur.

On the basis of recommendation received from Sub- Division Level Committees Nadaunvide his office letter letter No.248/SDN/OK dated 18-03-2015, the proposal for the diversion of Forest land in favour of HPPW Department for the Construction of link roads which falls in the jurisdiction of Nadaun Forest Division consisting of area of SDO© in Sub Divisions Nadaun as per detail given below:

Sr. No	Name of Forest	Name of Panchayat	Khasra No.	Area Proposed for diversion (Hects)	Purpose/Construction of
1	Kashmir	Kashmir	2588/1	00-04-22	Link road Panyali to Nugraon
2	Ghaloon	Ghaloon	457,598,600, 298/1,629/1	00-36-41	link road to vill. Ghaloon.
3	Kashmir	Kashmir	2597/1,2603/1,2604/1 ,2603/4, 2601/1	00-29-61	link road Kashmir to Bhira
4	Malag	Malag	1628/2, 1629/2	0049-11	link road Malag-Khatrod-Jassai-via Charada
5	Jassai	Jassai	1540/1/1	00-16-41	link road Daar-Dheli-Jassai
6	Beha	Majheli	2/2,2/3,86/2, 8673,1684/2	00-28-14	link road to vill. Badhera.
7	Beha	Pansai	231/1,231/3	00-14-87	link road Behathol via Gujrehra.
8	Badoi	Jhallan	239,240,251, 13,93,97,117	00-44-92	link road Ansra-Loharli
9	Jangli	Karour	72,180,195,222	00-33-84	link road to vill Gauna

The members present in the meeting expressed their consent for approval of the above proposals.

Meeting ended with the vote of thanks from and to the chair.

[Signature]
Executive Engineer
Barsar Division
H.P.W.D. Barsar

[Signature]
Deputy Commissioner,
District Hamirpur (H.P.)
Attested

Distt. Revenue Officer
Hamirpur (H.P.)

OFFICE OF THE SDO CIVIL, Hadaurm
DISTRICT Hemispur (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006 .

A meeting of the Sub-Division level Committee of Hadaurm Sub- Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship /chairpersonship of Mr/Ms. Amil Kromad SDO(Civil) Hadaurm on 11-02-2015 at 3-30 AM/PM at Hadaurm (Place) in which the application(s) claiming rights in 2588/1 forest areas under FRA,2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Forest Right Committee (s) of Kashmir Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on each application :-

<u>Name of Applicant</u>	<u>Decision (Recommended/not Recommended)</u>
1.	
2.	
3.	
Place:	<u>SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson</u>
Date :	<u>Sub-Division level Committee,</u> <u>Sub-Division.</u>

(Handwritten signature in green ink)
S.D.O (C)

3

304

Annexure-1

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा कश्मीर (नुगा)
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 16-5-2014

वन अधिकार समिति ग्राम सभा कश्मीर (नुगा) की बैठक आज दिनांक 16-5-2014 को 10:00 AM बजे, स्थान कश्मीर में श्रीमति सीता देवी प्रधान की अध्यक्षता में की गई जिसमें वृग्गा गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा अर्पित *श्रीमती प्रमोद कुमारी* के निर्माण के लिए 28 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव पारिवी व वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र.सं० * पात्र गांव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का ब्यौरा
1 कश्मीर

सद्वानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों का पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -
क्र.सं० * पात्र गांव वासी का नाम

सद्वानुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

जहाँ जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान कश्मीर
दिनांक 16-5-2014

अधीकृत छस्ताक्षरकर्ता Panchayat Sahayak
ग्राम सभा G.P. Kashmir
Dev Black Nandan
Distt. Hamirpur (H.P.)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
* प्रोत्षेष्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

नधि व पता

- ① श्री महेश सिंह सपुल श्री शाली माता प्रधान उस्ताद
- ② श्री सुरेश कुमार सपुल श्री महेश सिंह सपुल सुदरश Sunen koo
- ③ सन्तोष कुमारी पत्नी श्री राजेश्वर सिंह सुदरश सन्तोष

31

4

355

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की भाव्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा करागीर
प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 01

दिनांक 16-5-2014

ग्राम सभा करागीर की बैठक आज दिनांक 16-5-2014 को 10:00 AM बजे, स्थान करागीर में श्री/श्रीमति सीता देवी पर्याय की अध्यक्षता में की गई जिसमें बुवा गति के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की भाव्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत बुवा जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें कुड़ विभाग द्वारा पटवारी बुवा सुक के निर्माण के लिए 04-22 हैप्टर वन भूमि का उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वालियों के आवेदनों पर प्रर्था की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत धर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया -

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का खोरा
1	-	<u>करागीर</u>	-
2	-	-	-

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्र.सं.	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1.	<u>ML</u>
2.	-

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार बुवा जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ

स्थान करागीर
दिनांक 16-5-2014

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा UP Karagir
Dr. Dinku Nagaun
Distt. Hamirpur (H.P.)

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस पत्र क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजेक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (परिष्करण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

368

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

ग्राम सभा... कश्मीर
विकास समूह... मादोक, जिला... इशरपुर (डि0प्र0)

प्रतिश्रुति प्रस्ताव

दिनांक 01

गणपूर्ति..... /

प्रस्ताव संख्या 16-5-2014

विषय: वन विभाग कश्मीर के निर्माण हेतु समूहिक मार्ग (सड़क) पन्थाली गुंजा रड. जंगल/ वन क्षेत्र में प्रस्तावित 00-04-22 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम सभा कश्मीर की बैठक आज दिनांक 16-5-2014 को 10:00 बजे स्थान G.P. KASHMIR में की गई जिसमें डि० प्र० लो० गि० वि० वि० विभाग, संस्था को समूहिक मार्ग (सड़क) पन्थाली गुंजा रड. के निर्माण हेतु 00-04-22 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के साथ सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह धारित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है/ कर ली गई है तथा प्रस्तावित 00-04-22 हेक्टेयर वन भूमि को समूहिक सड़क निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम सभा कश्मीर की सहमति दी जाती है।

स्थान: कश्मीर
दिनांक: 16-5-2014

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम सभा... G.P. Kashmir
Dev Black Nadaun
Dist. Baramulla (H.B.)

श्रीमति सरला देवी
प्रधान



ग्राम पंचायत कश्मीर (33)
(पिछड़ी पंचायत)
डा० कश्मीर, तह० नादौन,
जिला हमीरपुर (हि.प्र.)
पिन कोड:-177006

मो०:- 94180-33538

क्रमांक.....13..... उपस्थिति = 9 पूर्ण दिनांक.....11/07/2018

विषय:- अधिकाता प्रधान कश्मीर सरला देवी
सि० सड़क पंचाली सड़क ले जुंगरा तक बनाने की NOC
जारी करने की।

यह कि सर्वसहकरी से बैंक में अधिकाता महापत्र
द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि गाव जुंगरा में सिमरन
सड़क गाव पंचाली से जुगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क
योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है। अतः पंचायत बैंक
में सर्वसहकरी से प्रस्ताव पारित किया गया डि उम्मेद
सड़क का कार्य यदि डि 20 लाख में विभाग कावला
है तो गाव में कच्चे को इसमें कोई की आपातवही
है। प्रस्ताव को सर्वसहकरी से पास किया गया।

प्रति:- सहायक अधिकारी ग्राम पंचायत की सेवा में
आगामी कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

Panachayat Secretary
Gram Panchayat Kashmir
Dev. Block Nadaun (H.P.)